ई–मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001

सं0: 491/स्वीप/43/2014 (ई जी एस–स्वीप योजना) दिनांक : 07 अगस्त, 2014

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. हरियाणा, 2. महाराष्ट्र, 3. झारखण्ड, 4. जम्मू एवं कश्मीर

विषय : राज्य विधानसभा निर्वाचन, 2014 के साधारण निर्वाचन में निर्वाचन सहभागिता को बढ़ाने के लिए व्यापक स्वीप योजना–तत्संबंधी।

संदर्भ : 1. 491/स्वीप/2013 (एल एस) दिनांक 11 नवम्बर, 2013 (प्रति संलग्न)
2. 491/स्वीप/40/2014 (एस आर) दिनांक 06 जून, 2014

महोदय/महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निदेश दिया है कि आगामी राज्य विधानसभा निर्वाचन, 2014 में निर्वाचन सहभागिता को बढ़ाने के लिए व्यापक राज्य स्वीप योजना तैयार की जाए और दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के परिपत्र के अनुरूप संचालित की जाए और उपर्युक्त दिनांक 06 जून, 2014 के परिपत्र के अनुसरण में सतत अद्यतनीकरण हेतु स्वीप कार्यक्रम जारी रखा जाए।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि विधानसभा निर्वाचन, 2014 की तैयारी अवधि में निम्नलिखित बिन्दुओं को नोट किया जाए:–

(1) राज्यों एवं जिलों में स्वीप समितियां क्रमशः राज्यों एवं जिलों में स्वीप कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करेंगी।

(2) मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपेक्षित संसाधनों और सहभागी एजेन्सियों को तत्काल कार्यप्रवृत्त करेंगे।

(3) राज्यों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विधानसभा निर्वाचन में मतदाता टर्नआउट लोकसभा निर्वाचन या पिछले विधानसभा निर्वाचन, इनमें से जो भी अधिक हो, की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत उच्चतर होना चाहिए।

(4) व्यापक पंजीकरण के लिए नवीन स्वीप उपायों सहित सतत अद्यतनीकरण को सशक्त किया जाना चाहिए।

(5) निर्वाचक नामावलियों में लगातर उच्च लिंग अन्तराल को दूर करने के लिए महिला पंजीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना।

(6) पिछले विधानसभा निर्वाचन एवं लोकसभा निर्वाचनों के सफल स्वीप मोड्यूलों को महिलाओं, शहरी जनसंख्या एवं ग्रामीण समुदाय के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

(7) कैम्पस में युवा पंजीकरण को अधिकतम बनाने के लिए और निर्वाचन में अत्यधिक युवा सहभागिता रखने के लिए कैम्पस राजदूतों का यथोचित उपयोग किया जाए।

(8) निर्वाचनों के समीप कार्यनीतिक महत्व के अभियानों में नीतिपरक एवं प्रलोभन मुक्त मतदान पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।

(9) राज्य में तैयारी संबंधी अपने पुनरीक्षण दौरे के दौरान, आयोग द्वारा संसूचित विशिष्ट बिन्दू।

राज्य विधानसभा निर्वाचन, 2014 के संदर्भ में राज्य स्वीप योजना, आयोग के अवलोकनार्थ अधिकतम 18 अगस्त, 2014 तक जमा करवा दी जाए।

भवदीय,

(टी.सी. कॉम)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. 491/स्वीप/2013(लो.स.) दिनांक : 11 नवम्बर, 2013

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2014 और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2014 में निर्वाचन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्वीप कार्ययोजना–तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2014 सहित आगामी साधारण निर्वाचन, 2014 में निर्वाचक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राज्य स्वीप योजना आयोग के अनुमोदन के लिए 15 दिसम्बर, 2013 तक प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिएं। निर्वाचनाधीन राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम एवं दिल्ली अपनी राज्य योजना अधिकतम 31 दिसम्बर, 2013 तक भेज सकते हैं।

2. स्वीप पर एक राष्ट्रीय दस्तावेज़ जनवरी, 2014 तक प्रकाशित हो रहा है, जिसमें वर्ष 2009 से लेकर अब तक के 23 राज्य विधान सभा निर्वाचनों में अनुभव/सर्वोत्तम परिपाटियों को लिपिबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, स्वीप अनुदेशों का सार संग्रह–2013 सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पहले ही भेजा जा चुका है। सार पुनरीक्षण/विधान सभा निर्वाचन से पहले ही अधिकतर राज्यों में मतदाताओं के ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, विश्वास और परिपाटियों का आधार–रेखा सर्वेक्षण आयोजित किया जा चुका है। कुछ राज्यों और जिलों की स्वीप कार्य–योजना भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाली गई हैं। साथ ही, विभिन्न राज्यों से स्वीप पदाधिकारियों को निर्वाचनाधीन पांच राज्यों में अक्तूबर–नवम्बर, 2013 के दौरान क्षेत्र के दौरों पर भेजा गया था।

3. आयोग ने यह निदेश दिया है कि जिन राज्यों में निर्वाचन सम्पन्न हो गए हैं उनमें इन दस्तावेजों, अनुभवों के आदान–प्रदान और सर्वोत्तम परिपाटियों के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्यों को सामने रखकर वर्ष 2014 के लिए राज्य स्वीप योजना तैयार की जाए :

I समग्र उद्देश्य :

क. चिह्नित कम टर्नआउट वाले मतदान केन्द्रों में मतदाता टर्नआउट को बढ़ाना और लोक सभा निर्वाचन, 2009 की तुलना में कम–से–कम 10–15% वोटर टर्नआउट में समग्र वृद्धि करने का लक्ष्य बनाना।

ख. पंजीकरण और टर्नआउट में लिंग अंतराल को दूर करना।

ग. निर्वाचक नामावली में अपवर्जित समूहों/समुदायों को वोटिंग टर्नआउट में वृद्धि करने के लिए शामिल करना।

घ. जहां एक ओर जागरूक, नैतिक और प्रलोभनमुक्त मतदान के रूप में निर्वाचन सहभागिता की गुणवक्ता में प्रत्यक्ष वृद्धि हो, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन व्यय नियंत्रण उपाय हों।

ड सेवा मतदाताओं और कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध करवाकर और शिक्षित करके डाक मतपत्रों द्वारा मतदान में वृद्धि करना।

II परिस्थिति विश्लेषण

क. पिछले लोक सभा निर्वाचन में सबसे न्यूनतम टर्नआउट वाले प्रत्येक जिले में 10% मतदान केन्द्रों की पहचान करना और उनके कारण।

ख. राज्य में सबसे न्यूनतम टर्नआउट वाले 10% मतदान केन्द्रों की समग्र पहचान करना और उनके कारण।

ग. न्यूनतम टर्नआउट वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करना और उनके कारण।

घ. राज्य में पिछले लोक सभा निर्वाचन और पिछले विधान सभा निर्वाचन के बीच टर्नआउट में कमी (यदि कोई हो) के कारणों को पहचानना।

ड प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अपवर्जित समूहों, समुदायों की पहचान, यदि कोई हों।

III कार्यनीति

क. प्रतिवेदन प्रपत्र (अनुबंध) में दिए गए सूचकों को ध्यान में रखते हुए, राज्य और जिला योजना परिस्थिति विश्लेषण, आउटपुट/क्रियाकलापों, अनुवीक्षण और मूल्यांकन तन्त्र को शामिल करेंगे।

ख. राज्य एवं जिला योजना को सूत्रबद्ध करते समय सर्वेक्षण परिणामों को उपयुक्त रूप से उपयोग में लाया जाए। जिला योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए जिले के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/मतदान केन्द्र से संबंधित सर्वेक्षण आंकड़ों के बारे में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।

ग. महिला, शहरी, युवा कमजोर वर्ग, शारिरिक रूप से निशक्त इत्यादि जैसे मुख्य अन्तरालों पर लक्षित अभियान राज्य एवं जिला योजना के अंग के रूप में होगा।

घ. टर्नआउट में अन्तराल को कम करने के लिए मतदान केन्द्र स्तर पर लक्षित इन्टरवेंशन करने होंगे।

ड प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अपवर्जित समुदायों/समूहों को पहचानने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर नव परिवर्तन लाएंगे और विशिष्ट परिचालन योजना तैयार करेंगे। जिला योजनाएं व्यापक राज्य योजना में से निकलेंगी और इसमें अपना योगदान भी देंगी।

च जागरूक एवं प्रलोभनमुक्त मतदान पर बल।

छ. नोटा पर उचित रूप से सूचना का प्रचार–प्रसार, वी वी पी ए टी सूचना सहित ई वी एम के बारे में निरंतर जागरूकता, जहां कहीं लागू हो।

ज. विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और प्रेरणाप्रद उपायों के अतिरिक्त, मतदाता फैसलिटेशन मुख्य संघटक होगा।

IV योजना एवं कार्यान्वयन

क. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्वीप कोर समिति सम्पूर्ण राज्य में स्वीप योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेगी। समिति में विभिन्न विभागों, एजेंसियों और संगठनों का प्रतिनिधित्व होगा।

ख. जिले में स्वीप योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए जिला कोर समिति के अध्यक्ष जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी (जैड पी) होंगे। प्रत्येक जिला, स्वीप के नोडल अधिकारी प्रभारी को नियुक्त करेगा। वह कोर समिति के सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेगा/करेगी। कोर समिति पर्याप्त रूप से अग्रिम रूप में, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 से पहले स्थापित की जानी चाहिए।

ग. स्वीप कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए सहभागिता का नेटवर्क राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर भी विकसित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, आयोग द्वारा सी एस ओ, ओ एस यू/कारपोरेट एवं मीडिया के संदर्भ में पहले से जारी भागीदारी सम्बन्धी रूपरेखा और परिसर राजदूत के लिए योजना का भी इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।

घ. मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी क्रमशः राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर संक्षिप्त सहभागी एजेंसियों को प्रेरित करेंगे और उन्हें अपेक्षित संसाधन एवं समस्त सामग्री उपलब्ध करवाएंगे।

ड़ जिला निर्वाचन अधिकारी, नक्सली प्रभावी जिलों और अन्य हिंसा प्रभावी क्षेत्रों में स्वीप कार्यक्रम की प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षकों को शामिल करेंगे ताकि कार्यक्रम में आत्मविश्वास का वातावरण बने और भय के विरूद्ध निर्भीकता उत्पन्न हो सके।

क. व्यापक क्रियाकलाप : क्रियाकलापों की योजना परिस्थिति विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए।

I फार्म 6, 7, 8 और 8क सभी प्रमुख स्थानों जैसे सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों बैंकों एवं डाकघरों, जहां अधिक संख्या में लोग आते हैं के अतिरिक्त नए पात्र निर्वाचकों के लिए हाई स्कूलों में भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिएं।

II त्यौहारों के दौरान और मोबाईल वैनों के जरिए सप्ताहिक हाटों में विशेष नामांकन कैम्प आयोजित किए जाएं।

III कारपोरेटों को उनके कर्मचारियों के नामांकन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जाना आवश्यक है। कारपोरेट कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक पंजीकरण हब स्थापित किए जाने चाहिएं।

IV निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता के लिए लोगों को अभिप्रेरित करने के लिए निर्वाचनों के समीप आने पर जन जागरूकता क्रियाकलाप संचलित किए जाने चाहिएं।

V प्रत्यक्ष घर–घर जाकर सम्पर्क करने के अतिरिक्त, जन–संचार, लोक–संचार और अन्य संचार वाहनों के माध्यम से संचार अभियान कार्यान्वित किए जाने चाहिएं।

VI पूर्व सूचित एवं प्रलोभनमुक्त मतदान को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिएं।

VII नोटा एवं वी वी पी ए टी से अवगत करवाने सहित जहां आवश्यक हो, ई वी एम से अवगत करवाने सम्बन्धी कार्यकलाप।

VIII राजनैतिक दलों और सी एस ओ सहयोगियों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में एस एल एम ए के कार्यकर्ताओं को निर्वाचक नामावालियों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाई जाएं।

ख आउटरीच मेटीरियल डेवलपमेंट

(i) सामग्री विकास के संदर्भ में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उसकी टीम आयोग के स्वीप प्रभाग द्वारा संकलित अनुमोदित सामग्री के अभिलेखों पर पहले विचार करेगी। यह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के लिए मतदाता सूचना एवं जागरूकता साफ्टवेयर पर आगे और सूची तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, विशेष पुनरीक्षण, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए विकसित आउटरीच सामग्री को उपयुक्त संशोधन के बाद व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाए।

(iii) लोक सभा निर्वाचनों में प्रयोग में लाए जाने वाले साफ्टवेयर को तैयार करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय राज्य स्तर पर गुणवत्ता जांच एवं सामग्री के नियन्त्रण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रमुख भी होंगे।

(iv) सवेक्षण परिणामों को अभियान सामग्री का डिजाइन तैयार करने और प्रचार–प्रसार के लिए संचार वाहनों के लिए निर्णय लेने में प्रयोग में लाया जाए।

(v) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रादेशिक और/या स्थानीय आइकॉन बनाए जाएं और उनकी सेवाओं का लाभ उठाते हुए प्रचार सामग्री तैयार की जाए। सामग्री (संदेश) पर पहले आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। ये आइकॉन भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन जैसे डा. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, श्री ए एस धोनी, क्रिकेट खिलाड़ी, सुश्री साईना नेहवाल और सुश्री मैरी कॉम आलम्पिक पदक धारी और आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित क्षेत्रीय आइकॉन के अतिरिक्त होंगे।

(vi) मतदाता जागरूकता पर सामग्री, व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सहयोगी केन्द्रीय सुरक्षा संगठनों/मीडिया घरानों को दी जाए।

(vii) ई सी आई–एन एल एम ए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, साक्षर भारत कार्यकर्ता (एन एल एम ए) सतत अद्यतनीकरण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों के नामांकन में मदद करने के अतिरिक्त निर्वाचक साक्षरता कार्यक्रम चलाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपनी आउटरीच सामग्री का इन साक्षरता कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार–प्रसार करेंगे।

(viii) निर्वाचनों में प्रयोग होने वाले सभी संदेशों के बारे में यदि पहले से उनकी जांच नहीं की गई है, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ग. मतदाता फैसीलिटेशन

i फैसीलिटेशन एवं जागरूकता लाने के लिए मतदाता पंजीकरण और शिक्षा केन्द्र महत्वपूर्ण स्थानों पर सथापित किए जाने चाहिएं । इन केन्द्रों को शिक्षा एवं जागरूकता सामग्री पर्याप्त संख्या में आपूर्ति की जाए।

ii सतत् अद्यतनीकरण के उपबंधों के अंतर्गत बचे रह गए मतदाताओं का पंजीकरण अभ्यर्थियों के नामांकन भरे जाने की अंतिम तिथि तक जारी रखा जाए।

iii ई आर ओ एवं ए ई आर ओ यह सुनिश्चित करेंगे कि ई पी आई सी सभी पंजीकृत व्यक्तियों को जारी की जाए।

iv यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आयोग के निदेशानुसार मतदाता पर्ची समय पर वितरित की जाए।

v पहचान के साक्ष्य के लिए आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक पहचान–पत्र, यदि कोई हों, के बारे में पहले से ही पर्याप्त प्रचार किया जाए।

vi मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अधिक संख्या में मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएं ताकि बिना किसी कठिनाई के वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

vii जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समय–समय पर आयोग के निदेशानुसार अपेक्षित सुविधाओं से युक्त आदर्श मतदान केन्द्रों की स्थापना करने सहित, सभी मतदान केन्द्रों पर पीने का पानी, छाया (शेड), महिलाओं के लिए शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि मतदान एक मित्रवत अनुभव बन सके।

V अनुवीक्षण एवं पुनरीक्षण

क. जिलों में स्वीप कार्यक्रम का मध्यकालिक पुनरीक्षण एवं निरंतर अनुवीक्षण, निधियों के यथासमय एवं उचित उपयोग किए जाने सहित कार्यक्षमता के मूल्यांकन के लिए किया जाए।

ख. कार्यान्वयन के पुनरीक्षण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित रूप से वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की जाए।

ग. राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जाएगा। रिपोर्टिंग फार्मेट पहले ही भेजा जा चुका है और संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न हैं।

VI मूल्यांकन एवं प्रलेखन

क. जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में कार्यान्वित की गई कार्ययोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और वे मतदान समाप्त होने के एक महीने के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वे समग्र टर्नआउट के विश्लेषण के अलावा अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देंगेः

i) मतदान से पहले पंजीकरण का विश्लेषण

ii) महिलाओं, शहरी मतदाताओं एवं युवाओं के बीच तुलनात्मक टर्नआउट का विश्लेषण।

iii) विशिष्ट मतदान केन्द्रों पर चिह्नित अपवर्जित समूहों/समुदायों के टर्नआउट का विश्लेषण।

iv) न्यूनतम टर्नआउट वाले चिह्नित 10% मतदान केन्द्रों में तुलनात्मक टर्नआउट का विश्लेषण।

ख. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदान समाप्त होने के दो महीने के भीतर प्रलेखित रिपोर्ट आयोग में जमा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट सम्पूर्ण राज्य के बारे में उपर्युक्त बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी।

4. राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2014 मतदाताओं के पंजीकरण को अधिकतम करने के लिए सहायक होगा, विशेष रूप से लोकसभा निर्वाचनों से पहले पात्र नए मतदाताओं के लिए। एन वी डी गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या द्वारा 491 के अनुदेशों/स्वीप/2011(एन वी डी) दिनांक 1 नवम्बर,

2011 के अनुसार संचालित की जाएंगी और एन वी डी के लिए रिपोर्टिंग प्रतिवेदन अनुबंध के रूप में संलग्न है।

आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र 'लोकसभा निर्वाचन 2014' को सार–विषय रूप में रखकर राज्यों के मुख्यालयों में गणतन्त्र दिवस कार्यक्रम में झांकी निकालेंगे।

5. राज्य स्वीप योजना 2014 के लिए संदर्भ हेतु एक टैम्प्लेट संलग्न है। वह प्रपत्र जिसमें राज्यों को निर्वाचन घोषित हो जाने पर रिपोर्ट भेजनी अपेक्षित होगी, भी संलग्न है।

तद्नुसार, सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से यह अपेक्षा है कि लोकसभा निर्वाचन 2014 के संदर्भ में राज्य स्वीप योजना तैयार करें और अधिकतम 15 दिसम्बर 2013 तक उसे जमा करवा दें। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली अधिकतम 31 दिसम्बर, 2013 तक राज्य योजना भेज सकते हैं।

अनुबंध :–

i लोकसभा निर्वाचन 2014 (एन वी डी, 2014 सहित) के लिए टैम्पलेट कार्य योजना
ii एन वी डी के लिए रिपोर्टिंग प्रपत्र
iii निर्वाचन रिपोर्टिंग प्रपत्र (स्वीप)

भवदीय,

(सुमन कुमार दास)

अनुबंध–**I**

लोकसभा निर्वाचन, 2014 हेतु कार्य योजना–स्वीप–**II** की रचना
(राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2014 सहित)

क. उद्देश्य

(लोकसभा निर्वाचन 2014 की तैयारी हेतु राज्य की स्वीप योजना उद्देश्यों को कृपया निर्दिष्ट करें और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का भी उल्लेख करें।)

ख. परिस्थिति विश्लेषण

(कार्य के मार्गदर्शन हेतु वर्तमान और पूर्व निर्वाचन आँकड़ो का व्यवस्थित मूल्यांकन)

ख 1. निर्वाचन रूपरेखा

ख 1.1 संक्षिप्त में सम्पूर्ण राज्य की निर्वाचन रूपरेखा

(कुल जनसंख्या, निर्वाचक–पुरूष, महिला, अन्य, ई पी अनुपात, ई पी आई सी कवरेज, आयु वर्ग, जिले, विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केन्द्र आदि)

ख 1.2. राज्य की सामाजिक–सांस्कृतिक रूपरेखा

ख 2. अन्तरात की पहचान

ख 2.1. श्रेणी वार (उदाहरणार्थ, लिंग, युवा, शहरी, अपवर्जित समूह इत्यादि, पिछले निर्वाचनों और पंजीकरण आँकड़ो का विश्लेषण दें।)

ख 2.2. जिले वार (उदाहरणार्थ, प्रत्येक जिले इत्यादि में सांख्यिकीय विश्लेषण, श्रेणी यदि कोई हो तो।)

ख 2.3. मतदान केन्द्रवार (न्यूनतम मतदान वाले 10% मतदान केन्द्रों की पहचान करना।)

ख 3. अंतरात विश्लेषण

ख 3.1. अन्तरालों के लिए कारणों का विश्लेषण करना (ख 2 में दिए गए विभिन्न अन्तरालों का साक्ष्य आधारित विश्लेषण)

ख 3.2. असहभागिता के लिए कारणों संबंधी सर्वेक्षण परिणाम (विगत निर्वाचन/पंजीकरण सर्वेक्षण की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष)

ग. कार्यनीति बनाना

(आई एम एफ–सूचना, प्रेरणा और फैसीलिटेशन इसमें सम्मिलित है)

ग 1. सामान्य कार्यनीति (समग्र मतदाता शिक्षा और जागरूकता)

ग 1.1. सूचना एवं प्रेरणा

ग 1.2. फैसीलिटेशन

ग 2. लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण (विशेष रूप से पहचान किए गए अन्तरालों के लिए लक्ष्यात्मक कार्य)

ग 1.1. सूचना एवं प्रेरणा

ग 1.2. फैसीलिटेशन

घ. कार्यान्वयन

(क में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं का स्वरूप तैयार करना और सुव्यवस्थित योजना तैयार करना)

घ 1. जिले और राज्य मुख्यालयों में टीम बनाना

घ 2. स्वीप टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं कार्यक्षमता बढ़ाना

घ 3. साझेदारी करना

(राज्य स्तर और जिला स्तर पर साझेदार बनाना)

घ 4. संसाधन जुटाना

(संदेशवाहक मानव संसाधन, विषय–वस्तु विकासकर्ता, सांस्कृतिक मंडली इत्यादि, विषय–वस्तु सृजन हेतु दूरदर्शन/आकाशवाणी जैसी सहभागी ऐजन्सियां; प्रायोजकता और वित्तीय संसाधनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट; प्रचार–प्रसार और प्रदर्शन हेतु अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे, हवाईअड्डे, बैंक इत्यादि जैसे विभाग; मुद्रण स्थान, एयरटाइम, विषय–वस्तु इत्यादि उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट मीडिया हाऊस)

घ 5. मीडिया एवं संचार योजना

(इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट, आउटडोर, इन्टरनेट आधारित, आई वी आर, एस एम एस, कॉलरट्यून्स आदि मीडिया में समावेश)

घ 5.1. समग्र दृष्टिकोण

घ 5.2. लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण (उदाहरणार्थ, युवा, महिला उन्मुखी संदेशों, शहरी लक्षित संदेशों इत्यादि के लिए विशेष संदेश)

घ 5.3. विषय–वस्तु विकास (उदाहरणार्थ, जिलों एवं मुख्यालयों के मध्य विषय–वस्तु का आदान–प्रदान एवं उसका उत्पादन)

घ 5.4. प्रस्तावित लक्षित श्रोताओं के लिए मीडिया समावेशों का सार

क्रम. सं.	लक्ष्य	मीडिया	सहभागी ऐजेन्सियों (यदि कोई हों) को जोड़ा जाएगा
1	महिलाएं		
2	शहरी		
3	युवा		
4	चिन्हित समुदाय		
5	कोई अन्य समूह		
6	कोई अन्य समूह		

घ 6. भौतिक कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप

(राष्ट्रीय मतदाता दिवस, युवा मतदाता फैस्टिवल और अन्य क्रियाकलाप जैसे प्रतियोगिताएं, वाद–विवाद, क्विज़ रैलियां, सभाएं, मानव श्रंखला, रंगोली प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक इत्यादि जिसमें लक्षित श्रोताओं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है)

घ 6.1. समग्र दृष्टिकोण

घ 6.2. लक्ष्यात्मक दृष्टिकोण

(उदाहरणार्थ, एन वी डी एवं युवा मतदाता फैस्टिवल में 18–19 साल की आयु के नए पात्र मतदाताओं को लक्षित किया जाएगा, रंगोली प्रतियोगिताएं विशेष रूप से महिलाओं इत्यादि को लक्षित करके आयोजित की जाएंगी।)

घ 6.3. सी ई ओ/डी ई ओ से संकल्प पत्र/प्रतिज्ञा पत्र एवं निमन्त्रण पत्र तथा अन्य नए प्रयास

घ 6.4. प्रस्तावित कार्यक्रम/क्रियाकलापों का सार

क्रम. सं.	लक्षित समूल (ख 2.1. में उल्लिखित)	कार्यक्रम	सहभागी ऐजेन्सियां (यदि कोई हों) को जोड़ा जाएगा
1	महिलाएं		
2	शहरी		
3	युवा		
4	चिन्हित समुदाय		
5	कोई अन्य समूह		
6	कोई अन्य समूह		

घ 7. मतदाता फैसीलिटेशन

(मतदाताओं को सुवधिाएं उपलब्ध करवाने संबंधी कार्य जैसे हैल्पलाइन नम्बर, मतदाता सूची में नाम सर्च करने की सुवधिाएं, अनुस्मारक एस एम एस, मतदान केन्द्र सर्च करने की सुविधा, ऑनलाइन पंजीकरण, मतदाता फैसीलिटेशन केन्द्र, मतदाता पर्चियां आदि)

घ 7.1. मतदाता फैसीलिटेशन केन्द्र

(मतदाता सूची का प्रदर्शन, ई पी आई सी एवं डुप्लीकेट ई पी आई सी जारी करना, सर्च सुविधा, पारस्परिक क्रियात्मक मतदाता शिक्षा इत्यादि)

घ 7.2. इन्टरनेट एवं हैल्पलाइन नम्बर/नाम सर्च सुविधा और एस एम एस आदि से/ गूगल मैप इत्यादि पर मतदान बूथ के स्थान को ढूंढना।

घ 7.3. मतदान केन्द्र विशिष्ट फैसीलिटेशन की पहल योजना

(जैसे मतदान केन्द्र के बाहर मतदाता सूची का प्रदर्शन, उचित प्रकाश, रैम्प आदि)

घ 7.4. कोई अन्य लक्षित विशिष्ट फैसीलिटेशन उपाय की योजना।

(जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में विशेष पंजीकरण डेस्क लगवाना, विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण कैंप लगाना इत्यादि)

घ 7.5. मतदाता पर्ची

(मतदाता पर्ची इत्यादि पर संख्या और वितरण के दिन का विवरण)

ड. अनुवीक्षण तन्त्र

(जिला एवं मुख्यालय में कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए तन्त्र स्थापित करना और सुधारात्मक उपाय करना जब कभी भी उनकी आवश्यकता हो, और उदाहरणार्थ जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ

विडियो कान्फ्रेंसिंग करना, सहभागी ऐजेन्सियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना, सहभागियों के साथ संचार तन्त्र क्षेत्र में भी स्थापित करना, अनिवार्य रिपोर्टिंग फार्मेट या कोई अन्य उपाय)

च. मूल्यांकन एवं प्रलेखन

(जिला/राज्य स्तर पर प्रलेखन के अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्तर एवं विभिन्न चिह्नित अन्तरालों के लिए लक्षित कार्यों का निर्वाचन पश्चात् मूल्यांकन के लिए तन्त्र; टर्नआउट में समग्र वृद्धि, चिह्नित मतदान केन्द्रों पर टर्नआउट, महिला टर्नआउट, शहरी केन्द्रों पर टर्नआउट, डाक मतपत्र, ई पी अनुपात, निर्वाचक नामावली में लिंग अनुपात, प्रवासी भारतीयों का पंजीकरण, अपवर्जित समूहों को शामिल करना इत्यादि जैसे सूचकों के आलोक में मूल्यांकन।)

छ. कलेण्डर

(समय सारणी के साथ क्रियाकलापों का विवरण)

कार्य बिन्दू	आरम्भिक दिनांक	अंतिम दिनांक
टीम निर्माण		
प्रशिक्षण एवं क्षमता बढाना		
सहभागिता बनाना		
संसाधन जुटाना		
अनुवीक्षण		
मूल्यांकन		
प्रलेखन		
फैसीलिटेशन मापदंड		
हैल्पलाइन नम्बर एक्टीवेट करना		
एस एम एस पर नाम सर्च करने की सुविधा		
गूगल मैप पर मतदान केन्द्र ढूंढना		
महिलाओं के लिए विशेष पंजीकरण अभियान		
मतदान केन्द्र सुविधा		
कोई अन्य फैसीलिटेशन उपाय		
कोई अन्य फैसीलिटेशन उपाय		
संचार एवं क्रियाकलाप योजना		

विषय	उप विषय	क्रियाकलाप (कार्यक्रम एवं/या मीडिया समावेशन)	आरम्भिक दिनांक	अंतिम दिनांक
पंजीकरण	पंजीकरण क्यों			
	कब और कहाँ			
	पंजीकरण कैसे करें अपेक्षित दस्तावेज			

मतदान	मतदान क्यों			
	मतदान कैसे मतदाता सूची में नाम जांचना पहचान दस्तावेज करें और नहीं करें			
	प्रलोभन मुक्त मतदान			
	सजग मतदान			
	नोटा			
	विद्यार्थियों के लिए प्रतिज्ञा पत्र/संकल्प पत्र			
	मतदान वाले दिन से पहले मतदाता पर्ची			
निर्वाचक शिक्षा	निर्वाचन प्रणाली			
	मत की गोपनीयता			

अनुबंध–**II**

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट
(20 दिसम्बर तक/5 फरवरी तक प्रारंभिक रिपोर्ट)

राज्य :

दिनांक :

1.	ऐसे मतदान केन्द्र स्थलों की संख्या जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया जाएगा/किया गया था।	
2.	ऐसे निर्वाचकों की कुल संख्या जिन्हें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र वितरित किए जाने थे/गए थे/(इनमें वे निर्वाचक भी शामिल हैं जिन्हें निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बीच एपिक दिए गए थे)	पुरूष : महिला अन्य :
3.	इनमें से कितने 18–19 वर्ष की आयु समूह के हैं। (नव पात्र)	पुरूष : महिला अन्य :
4.	बैजों की वह संख्या जो नए निर्वाचकों को वितरित किए जाने थे/गए थे।	
5.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या।	
6.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को वितरित निधियाँ।	प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मानः जिलों को आबंटित कुल निधि :
7.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दृष्टि से बीएलओ के लिए आयोजित किए जाने वाले/किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या।	
8.	राज्य राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के लिए प्रस्तावित मुख्य अतिथि।	
9.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए जोड़ी जाने वाले/जा चुकी भागीदार एजेंसियों के नाम	
10.	क्या जिलों में राष्ट्रीय आइकॉनों की सीडी उपलब्ध कराई गई है	

11.	राज्य में कितने युवा मतदाता समारोह आयोजित किए जा रहे हैं/गए थे?	
12.	क्या राज्य गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की झांकी प्रस्तावित है/प्रदर्शित की गई थी? यदि नहीं तो कारण दें। (इस बार लोक सभा, 2014 की थीम के साथ यह अनिवार्य है।)	
13.	ऐसे कोई ऑनलाइन आयोजन जैसे क्विज, विमर्श, यदि जिनकी योजना बनाई गई है। जो आयोजित किए गए।	
14.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस के भाग के रूप में क. राज्य स्तर ख. जिला स्तर पर एक–साथ आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित/आयोजित कार्यकलाप।	

अनुबंध–**III**

निर्वाचन रिपोर्टिंग प्रपत्र (स्वीप)
लोकसभा निर्वाचनों के लिए

(पाक्षिक; पहली रिपोर्ट–आयोग द्वारा मतदान की घोषणा की तिथि से एक सप्ताह के भीतर)

राज्य :

क्र.सं.	विषय	अभ्युक्ति
1.	आज तक राज्य में परिचालित/मतदाता फैसीलिटेशन केन्द्रों/सी एस सी की संख्या	
2.	चिह्नित किए गए कम टर्न आउट वाले मतदान केन्द्रो की संख्या	
3.	इन मतदान केन्द्रों वाले क्षेत्रों में आयोजित किए गए भौतिक कार्यक्रम क. पंजीकरण के लिए विशेष कैम्प ख. नुक्कड़ नाटक/लोक कला प्रतियोगिताएं आदि ग. रैलियां/दौड़ घ. आईकॉन के साथ विशेष कार्यक्रम ड. अन्य कार्यक्रम	
4.	इन मतदान केन्द्रों वाले क्षेत्रों में मीडिया द्वारा प्रचारों की संख्या क. पोस्टर्स, पैंफ़लेट, बैनर्स ख. रेडियो स्पोट्स/कार्यक्रम ग. टेलीविजन स्पोट्स/कार्यक्रम घ. समाचारपत्र विज्ञापन ड आउटडोर होर्डिंगस/बस पैनल्स इत्यादि। च. एस एम एस/कॉलर ट्यून आदि। छ. इन्टरनेट द्वारा प्रचार	
5.	अपवर्जित समूहों/चिह्नित समुदायों की संख्या	
6.	इन समूहों/समुदायों के लिए की गई विशेष पहल	
7.	लिंग अन्तराल को कम करने के लिए आयोजित किए गए भौतिक कार्यक्रम क. बैठकें (जैसे ए डब्ल्यू डब्ल्यू/आशा, सिविल सोसाइटी संगठन आदि के कार्यकर्ताओं के साथ) ख. विशेष कैंप ग. नुक्कड़ नाटक/लोक कला प्रतियोगिताएं आदि घ. रैलियां/दौड़ ड. आईकॉन के साथ विशिष्ट कार्यक्रम च. अन्य कार्यक्रम	
8.	लिंग उन्मुखी मीडिया प्रचारों की संख्या क. पोस्टर्स, पैम्फलेट, बैनर्स ख. रेडियो स्पोट्स/कार्यक्रम	

	ग. टेलीविजन स्पोट्स/कार्यक्रम घ. समाचार पत्र विज्ञापन ड. आउटडोर होर्डिंगस/बस पैनल्स आदि। च. एस एम एस/कॉलर ट्यून आदि छ. इन्टरनेट द्वारा प्रचार	
9.	युवा उन्मुखी आयोजित किए गए विशिष्ट भौतिक कार्यक्रम क. कार्यक्रम जैसे–प्रतियोगिताएं, त्यौहार, नुक्कड़ नाटकों आदि की संख्या ख. शैक्षिक संस्थाओं की संख्या जिन्होंने कार्यक्रमों में भाग लिया ग. शैक्षिक संस्थाओं में विशेष पंजीकरण कैम्प घ. शैक्षिक प्रणाली से बाहर के युवाजनों के लिए विशेष कैम्प ड. आईकॉन सहित विशेष कार्यक्रम च. रैलियां/दौड़ छ. कोई अन्य पहल	
10.	युवा उन्मुखी मीडिया प्रचारों की संख्या क. पोस्टर्स, पैम्फलेट, बैनर्स ख. रेडियो स्पोट्स/कार्यक्रम ग. टेलीविजन स्पोट्स/कार्यक्रम घ. समाचार पत्र विज्ञापन ड. आउटडोर होर्डिंगस/बस पैनल आदि च. एस एम एस/कॉलर ट्यून आदि छ. इन्टरनेट द्वारा प्रचार	
11.	शहरी उदासीनता से निपटने के लिए आयोजित भौतिक कार्यक्रम क. बी एल ओ/आर डब्ल्यू ए की बैठकें ख. विशेष कैम्प ग. रैलियां/दौड़ घ. अपील पत्र (जिला निर्वाचन अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से) ड. प्रेस विज्ञप्तियां च. आईकॉन के साथ विशेष कार्यक्रम छ. अन्य कार्यक्रम	
12.	शहरी उन्मुखी मीडिया प्रचारों की संख्या क. पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, बैनर्स ख. रेडियों स्पोट्स/कार्यक्रम ग. टेलीविजन स्पोट्स/कार्यक्रम घ. समाचार पत्र विज्ञापन ड. आउटडोर होर्डिंगस/बस पैनल्स आदि च. एस एम एस/कॉलर ट्यून आदि छ. इन्टरनेट द्वारा प्रचार	
13.	जागरूकता एवं प्रलोभन मुक्त मतदान करने पर मीडिया प्रचारों की संख्या क. पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, बैनर्स	

	ख. रेडियों स्पोट्स/कार्यक्रम ग. टेलीविजन स्पोट्स/कार्यक्रम घ. समाचार पत्र विज्ञापन ड. आउटडोर होर्डिंगस/बस पैनल्स आदि च. एस एम एस/कॉलर ट्यून आदि छ. इन्टरनेट द्वारा प्रचार	
14.	सहभागी ऐजेन्सियों की संख्या क. सरकारी विभाग/सरकारी मीडिया ख. सिविल सोसाइटी संगठन ग. निजी मीडिया घ. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कॉरपोरेट ड. संगठन जैसे एन वाई के एस, एन एस एस, को–ऑपरेटिव सोसाइटियां, आर डब्ल्यू ए आदि च. अन्य	
15.	डाक मतपत्रों वाले मतदाता क. चिह्नित डाक मतपत्रों वाले मतदाताओं की संख्या (मतदान कर्मी एवं सेवा मतदाताओं सहित) ख. इन व्यक्तियों के लिए बैठकों/कार्यक्रमों/फैसीलिटेशन कार्यक्रमों की संख्या ग. इन मतदाताओं के लिए मीडिया प्रचारों की संख्या (विज्ञापनों, एस एम एस, पत्रों, आदेशों, परिपत्रों इत्यादि सहित)	
16.	एस एम एस द्वारा प्रदत्त मतदाता सूची में सर्च सुविधा का कितने उपयोग कर्त्ताओं ने प्रयोग किया।	
17.	जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रतिज्ञा पत्रों की संख्या	
18.	हस्ताक्षर के पश्चात वापस प्राप्त किए गए प्रतिज्ञा पत्रों की संख्या	
19.	जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदान के लिए जारी किए गए निमन्त्रण पत्र	
20.	आज तक किए गए बिल्कुल नए दो प्रयास	

हस्ताक्षर : दिनांक :